

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

ग्रामीण सेवा शिविर 2025

राजस्व वाद संख्या : 199 / 2025
निर्णय दिनांक : 23.12.2025
जीसीएमएस संख्या- 2025 / 565
कार्य दिनांक - 17.12.2025

लक्ष्मीदेवी प्रजापत बनाम राजस्थान सरकार

—:निर्णय:—

ग्रामीण सेवा शिविर 2025 के दौरान यह वाद-पत्र वादी लक्ष्मीदेवी प्रजापत पुत्री हनुमानाराम प्रजापत पत्नी लुनकरण प्रजापत निवासी कस्बा सुजानगढ़ हाल निवासीनी ग्राम जसवन्तगढ़ तहसील लाडनूं जिला डीडवाना कुचामन द्वारा प्रस्तुत किया गया। प्रकरण भू राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत श्रवणाधिकार एवं क्षेत्राधिकार में होने के से वाद पत्र की पत्रावली संधारित की गयी।

प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि राजस्व रिकॉर्ड में रोही ग्राम ठरडा की जमाबन्दी संवत् 2076-2079 के खाता संख्या 176 में वादीनी का नाम मुन्नी देवी दर्ज है। जो गलत है। वादी का सही नाम आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों के अनुसार लक्ष्मी देवी अंकित है। वादी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्त किये जाने का आदेश फरमावें।

वाद पत्र के साथ शिविर प्रभारी/ तहसीलदार सुजानगढ़ की रिपोर्ट संलग्न है। उपतहसीलदार सालासर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उपर्युक्त वर्णित राजस्व रिकॉर्ड में वादी का नाम मुन्नी देवी दर्ज है। जो गलत है। संलग्न दस्तावेजात, पटवारी, भू.अ. नि. की रिपोर्ट के अनुसार वादी का नाम लक्ष्मी देवी है इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड में शुद्ध किया जाना उचित है।



वाद-पत्र का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र दस्तावेजात आधार कार्ड, परियच पत्र, पैन कार्ड एवं पासपोर्ट आदि एवं तहसीलदार सुजानगढ़ की अभिशंभा से वादी का नाम वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अशुद्ध होना सिद्ध होता है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर दावा स्वीकार किया जाता है तथा घोषित किया जाता है कि

वादी का नाम निम्नलिखित सारणी में कॉलम संख्या 05 में अंकित अनुसार है जो वादी राजस्व रिकॉर्ड में अंकित करवाने का अधिकारी है। तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में अंकन निम्नानुसार दुरुस्त किया जाए-

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	ठरडा	23	मुन्नीदेवी	लक्ष्मी देवी

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हसब जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 23.12.2025 को लिखाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।

(8)
 उपखण्ड अधिकारी
 उपखण्ड अधिकारी
 सुजानगढ़
 सुजानगढ़ (चूरु)



डिकरी व मुकदमें इब्तादाई
(ऑर्डर 20, रूल 6-7 जबा दावानो)
(Civil Procedure code, Appendix 'D'-1)

अज अदालत – उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़
लक्ष्मीदेवी बनाम राज. सरकार
दावा बाबत रेकॉर्ड दुरुस्ती
मुकदमा न0 199 सन 2025

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रु-ब-रु..... हाजरीएड. मिनजानिब मुद्दई मिनजानिब मुदापलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि दावा वादी राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्तिम रूप से डिक्री किया जाकर प्रतिवादी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि जिला चूरु तहसील सुजानगढ़ की संवत् 2076-2079 के राजस्व रिकॉर्ड की प्रविष्टि में अंकन निम्नानुसार दुरुस्त किया जाए-

क्रं. स.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	ठरडा	23	मुन्नीदेवी	लक्ष्मी देवी

अन्य सभी प्रविष्टि तथा रहन (यदि हो तो) की प्रविष्टि यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को भिजवाई जावे।

चीज मुबलिंग बाबत
खर्चा इस मुकदमे के मय सुद व शरह फीसदी सालाना
आज की तारीख से तारीख वसूलमाबी तक
..... भुदा करे।

..... परे दस्ताखत व मुहर अदालत के आज तारीख 23 माह 12 वर्ष 2025



उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

मुद्दई	रुपया	पै.	मुदायलाई	रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान			स्टाम्प बकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील पर खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक मीजान		

..... खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये